रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 395] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 6, 2012/श्रावण 15, 1934

No. 395] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 6, 2012/SHRAVANA 15, 1934

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 2012

सा.का.नि. 612(अ).—केन्द्र सरकार, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत का शत्रु संपत्ति अभिरक्षक, मुंबई के पद से संबंधित विद्यमान भर्ती नियमों 1977 को उन बातों तक अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, भारत का शत्रु संपत्ति अभिरक्षक के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का नाम भारत का शत्रु संपत्ति अभिरक्षक भर्ती नियम, 2012 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2-4 में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से 13 में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या पत्नी जीवित है, के साथ अनुबंध या विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति के साथ अनुबंध या विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **छूट प्रदान करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां कारणों को लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, इन नियमों के निजी उपबंध में आदेश द्वारा छूट प्रदान कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.**—यह नियम समय-समय पर केन्द्र सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसरण में अ.जा. व अ.ज.जा. तथा अन्य विशेष वर्गों के लिए उपलब्ध कराए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण तथा आयु-सीमा में ढील और अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेंगे ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन / वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
भारत का शत्रु संपति अभिरक्षक	1* (2012) कार्य भार के आधार पर परिवर्तन के अधीन	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड -3 (15600-39100 रु0 + ग्रेड वेतन 7600 रु0	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो,	भर्ती की पद्धति: सीधी भर्ती अथवा प्रोन्नति द्वारा, जो भी हो या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति /स्थानांतरण द्वारा भर्ती के मामले में वह ग्रेड जिनसे प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण किया जाना है।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	वह परिस्थितयां जिनमें भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।	
8	9	10	11	12	13	
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति/ प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति:केन्द्रीय सरकार के अधिकारी जो:- (i) नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं अथवा (ii) वेतन बैंड -3, 15600-39100 रु0 + ग्रेड वेतन 6600 रु0 के ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा के साथ सदृश पद धारण किए हुए हैं और (ख) जिनके पास प्रशासन, स्थापना के क्षेत्र में 5 वर्ष का अनुभव हो।	ग्रुप-क प्रोन्नति विचार करने हेतु विभागीय प्रोन्नति समिति के सदस्य निम्नानुसार है:- (i) अध्यक्षा/ सदस्य - लोक संघ लोक सेवा आयोग अध्यक्ष (ii) संयुक्त सचिव (प्रशासन) गृह मंत्रालय सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।	

			बाहरी व्यक्तियों के साथ ही पे-बैण्ड 3 में 15600-39100+6600 के ग्रेड वेतन में 5 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके विभागीय उप शत्रु संपत्ति अभिरक्षक पर भी विचार किया जाएगा और यदि उनका चयन हो जाता है तो पद को प्रोन्नति द्वारा भरा हुआ माना जाएगा। **टिप्पण-1:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण-2:** प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण-3:** प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पूर्व (वह तारीख जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की गईं हैं) नियमित आधार पर की गई सेवा को एक से अधिक संशोधन पूर्व वेतनमान का समान ग्रेड वेतन सहित एक ग्रेड में अथवा वेतनमान में आमेलन किया गया है और जहां पर यह लाभ केवल उस पद (दों) के लिए लागू होगा जिनके लिए वह ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन है, के अतिरिक्त समनुरूपी ग्रेड वेतन में अथवा वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर लागू किए गए वेतनमान में की गई सेवा के बराबर माना जाएगा।	(iii) संयुक्त सचिव स्वतंन्त्रता सेनानी, (पुनर्वास) गृह मंत्रालय - सदस्य		

[फा. सं. 37/17/2008-ई.पी.]

एस. के. आहूजा, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th July, 2012

G.S.R. 612(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the constitution and in supersession of the Custodian of Enemy Property for India Recruitment Rules, 1977, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of the Custodian of Enemy Property for India, Mumbai, namely : -

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Custodian of Enemy Property for India Recruitment Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, Classification and Pay Band and Grade Pay or Pay Scale. - The number of the said post, its classification and the pay band and grade pay or pay scale attached thereto, shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule appended to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications. - The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

4. Disqualifications. - No person, -
   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.- Nothing in these rules affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post.	Number of posts.	Classification.	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7
Custodian of Enemy Property for India.	1* (2012) *Subject to variation dependent upon work load.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-ministerial.	Pay Band-3, (Rs. 15600-39100) and Grade Pay Rs.7600/-	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes.	Period of probation if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Department Promotion Committee exits, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
8	9	10	11	12	13
Not applicable.	Not applicable.	Promotion/ deputation	Promotion /deputation : Officers of the Central Government .- a) (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) with five years of regular service in Pay Band-3 (Rs.15600-39100) and Grade Pay of Rs.6600; and b) possessing five years experience in the field of Administration and establishment matters. (The Departmental Deputy Custodian of Enemy Property for India with five years of regular service in the pay band-3 (Rs.15600-39100) and Grade Pay of Rs.6600 shall also be considered along	Group 'A' Departmental Promotion Committee for considering promotion consisting of :- (i) Chairman/ Member – Union Public Service Commission..... Chairman (ii) Joint Secretary (Administra-	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary.

2896 GI/12-2

			with outsiders and in case, he or she is selected, post shall be deemed to have been filled by promotion) **Note 1.-** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organization/Department of the Central Government shall not exceed four years. **Note 2.-** The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of application. **Note 3.-** For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 (the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendation has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the pay commission except where there has been merger of more then one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any up gradation.	tion), Ministry of Home Affairs - Member (iii) Joint Secretary (Freedom Fighter Rehabilitation), Ministry of Home Affairs…. Member		

[F. No. 37/17/2008-EP]

S. K. AHUJA, Under Secy.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 503] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 26, 2014/आश्विन 4, 1936

No. 503] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 26, 2014/ASVINA 4, 1936

गृह मंत्रालय

(स्वतंत्रता सेनानी एवं पुनर्वास प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 2014

सा.का.नि. 694(अ).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति दिनांक 30 जुलाई, 2012 की अधिसूचना सा.का.नि. 612(अ), के अंतर्गत अधिसूचित भारत के शत्रु संपत्ति अभिरक्षक पद के लिए एतद्द्वारा विद्यमान भर्ती नियमों में निहित मुद्रण संबंधी त्रुटियों को ठीक करने के लिए निम्नलिखित संशोधन करते हैं:—

"भारत के शत्रु संपत्ति अभिरक्षक पद के लिए विद्यमान भर्ती नियमों में कालम 12 को विद्यमान प्रावधानों के स्थान पर "लागू नहीं" प्रतिस्थापित किया जाता है।"

[फा. सं. 37/17/2008-ई.पी.]

के. के. पाठक, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Freedom Fighters and Rehabilitation Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th September, 2014

G.S.R. 694(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following amendments to correct the typographical errors in the existing Recruitment Rules for the post of Custodian of Enemy Property for India notified *vide* Notification G.S.R. 612(E), dated 30th July, 2012:—

"Col. 12 in the existing Recruitment Rules for the post of Custodian of Enemy Property for India is substituted as "**Not applicable**" in place of the existing provisions."

[F. No. 37/17/2008-EP]

K. K. PATHAK, Jt. Secy.

3889 GI/2014

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.